भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3177** जिसका उत्तर

गुरूवार, 12 **मार्च**, 2020/22 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है

दुगराजापट्नम में पत्तन

3177. श्री केसिनेनी श्रीनिवासः

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार दुगराजापट्नम में एक पत्तन स्थापित करने का है, जैसाकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत वायदा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार को उक्त के लिए राज्य सरकार से कोई वैकल्पिक स्थान प्राप्त हुआ है; और

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में पत्तन विकसित करने की कोई अन्य योजना है जैसाकि आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत वायदा किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) आंध्र प्रदेश के दुगराजापट्नम में एक नए महापत्तन का विकास करने संबंधी कार्य को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की अनुसूची XIII में शामिल किया गया है। नीति आयोग द्वारा दुगराजापट्नम में नए महापत्तन के विकास से संबंधित प्रस्ताव की पोत परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और आंध प्रदेश सरकार के परामर्श से जांच की गई और यह निष्कर्ष दिया गया कि इसके निकट स्थित कृष्णपटनम, एन्नौर और चेन्नै पत्तनों से इसकी कड़ी प्रतिस्पर्धा की संभावना के कारण यह परियोजना व्यवहार्य नहीं होगी क्योंकि ये पत्तन, प्रस्तावित पत्तन से क्रमश: 40, 80 और 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं।

(ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दुगराजापट्नम के स्थान पर रामायापट्टणम को महापत्तन के रूप में विकासित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया था।

(घ) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश में रामायापट्टणम पत्तन की पत्तन सीमाओं को गैर-महापत्तन के रूप में पहले से ही अधिसूचित कर दिया है।

******